न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारी:-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 33/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मन्दरूप पिता हुक्मा जाति गुर्जर आयु 74 वर्ष निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप पिता जोधा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी भीटा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 11.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भीटा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजी संख्या 399 रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 230 पर दर्ज रेकार्ड है व आराजी संख्या 400 रकबा 0.54 है0 अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 223 पर दर्ज रेकार्ड है कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होन की वजह से पक्षकारान के दरमीयान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थी को घास आदि काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा का विवाद होता रहता है। जिससे प्रार्थी द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षी को कई मर्तबा पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 20/04/2018 को विपक्षी को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इन्कार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। विपक्षी प्रार्थी की आराजियात के पडोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 04.05.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम भीटा पटवार हल्का भीटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराज़ी संख्या 399 रकबा 0.40 है0 खाता संख्या 230 पर दर्ज रेकार्ड है व आराजी संख्या 400 रकबा 0.54 है0 अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 223 पर दर्ज रेकार्ड है कुल किता 2 कुल रकबा 0.94 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

... प्रस्तुत करना पडा